COVID-19
अति–आवश्यक

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः आई.डी.एस.पी. / 2020 / 853 दिनांकः 17/7/20

डॉ. आनन्द गोयल,
डायरेक्टर,
गोयल हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रा.लि.
961 / 3, रेजिडेन्सी रोड़, जोधपुर।

विषयः– संस्थान को कोरोना की जांच करने हेतु अधिकृत करने बाबत्।
संदर्भ :– आपके पत्र दिनांक 01.07.2020 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि आप द्वारा दिनांक 01.07.2020 को कोरोना की जांच करने के संबंध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसके फलस्वरूप आपके अस्पताल को कोरोना की जांच निम्न शर्तो के साथ निर्धारित दर पर करने हेतु अधिकृत किया जाता है –

1. आप द्वारा अस्पताल में कोरोना की जांच राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर की जायेगी।
2. आप द्वारा कोरोना जांच से सम्बन्धित चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान द्वारा जारी सभी दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित करेगें।
3. आप द्वारा कोरोना जांच की रिपोर्ट की सूचना निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं की ई–मेल आईडी **rajasthan_idsp@yahoo.co.in, rmsc.mnjy@gmail.com, micro.rajinfo@gmail.com** पर एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, जयपुर व सम्बन्धित जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को को निर्धारित प्रपत्र में नियमित रूप से प्रातःकाल एवं सायंकाल भिजवाई जायेगी।
4. आप द्वारा जांच से संबंधित भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) द्वारा जारी सभी दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जाएगी।

उक्त स्वीकृति सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरांत जारी की गई है।

निदेशक(जन.स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः आई.डी.एस.पी. / 2020 / 853 दिनांकः 17/7/20

प्रतिलिपि– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज.।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा।
4. निजी सचिव, मिशन निदेशक, एनएचएम।
5. जिला कलेक्टर, जोधपुर।
6. निजी सहायक, अतिरिक्त निदेशक (ग्रा0 स्वा0), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
7. संयुक्त निदेशक, जोधपुर।
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।
9. प्रभारी–सर्वर रूम को वास्ते ईमेल एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. रक्षित पत्रावली।

निदेशक(जन.स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर